भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/2015/एसडीआर दिनांकः 12 नवम्बर, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ-शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः- राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद् के निर्वाचनों में 'इनमें से कोई नहीं' विकल्प का चुनाव करने का तरीका-आयोग के पुनरीक्षित अनुदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 24 जनवरी, 2014 और 27 फरवरी, 2014 के परिपत्रों, जिनमें दोनो की संख्याएं 576/3/2013/एसडीआर-वाल्यूम-II हैं, की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जो नोटा के लिए प्रावधान करने और राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों में नोटा विकल्प के लिए चिह्न लगाने के तरीके के बारे में है। उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार, नोटा के लिए विकल्प को मतपत्र पर 'इनमें से कोई नहीं' पैनल के सामने क्रॉस या सही के निशान के साथ चिह्नित किया जाना था।

2. आयोग के नोटिस में यह लाया गया है कि ऐसे कुछ मामले हुए हैं, जिनमें निर्वाचकों ने किसी एक अभ्यर्थी के सामने पहली वरीयता चिहनित करने के बाद नोटा के सामने वरीयता पर क्रॉस चिह्न लगाया या अनुवर्ती वरीयता (दूसरी, तीसरी, आदि) का उल्लेख किया जिसके कारण मतपत्र को अस्वीकृत करना पड़ा। ऐसे मामलों के आलोक में, आयोग ने इस मामले पर नए सिरे से विचार किया है तथा, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 73(2) का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं नोटा विकल्प के लिए व्यवस्था करने तथा एकल अंतरणीय मत का प्रयोग करते हुए अधिमानी प्रणाली में मतदान करने की रीति की दिशा में एक-समान दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से आयोग ने राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों में नोटा विकल्प का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैः-

(i) नोटा के सामने चिह्नांकन अंक 1,2,3 आदि लिखकर किया जाएगा जैसा कि अभ्यर्थियों के लिए वरीयता चिह्नित करने के मामलें में किया जाता है, अर्थात् भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या किसी भारतीय भाषा में या रोमन रूप में।

(ii) यदि वरीयता '1' नोटा के प्रति चिह्नित की जाती है तो उस पर किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने के मामलें के रूप में कार्रवाई की जाएगी और ऐसा मतपत्र उस परिस्थिति में भी अविधिमान्य

माना जाएगा जब '1' नोटा के प्रति चिह्नित किए जाने के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यर्थी के सामने भी चिह्नित किया गया हो।

(iii) यदि पहली वरीयता किसी एक अभ्यर्थी के सामने विधिमान्य रूप से चिह्नित की गई हो और दूसरी वरीयता नोटा के प्रति चिह्नित की गई हो तो ऐसे मतपत्र उस अभ्यर्थी के लिए विधिमान्य माने जाएगें जिसके लिए पहली वरीयता चिह्नित की गई हो बशर्ते उसे नियम 73(2) के अंतर्गत अविधिमान्य करने का कोई आधार नहीं हो। ऐसे मामलें में, दूसरी वरीयता की जाँच करने के चरण में मतपत्र समाप्त के रूप में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि दूसरी वरीयता नोटा के प्रति चिह्नित की गई है। इसी तरह यदि पहली एवं दूसरी वरीयता प्रत्येक एक अभ्यर्थी के प्रति विधिमान्य रूप से चिह्नित की गई हो और 'तीसरी' वरीयता नोटा के प्रति चिह्नित की गई हो तो मतपत्र पहली गणना के लिए तथा 'दूसरी' वरीयता के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य माना जाएगा, परन्तु, 'तीसरी' वरीयता की जाँच करने के चरण पर यदि ऐसा चरण आता है तो मतपत्र समाप्त माना जाएगा। ये अनुदेश अनुवर्ती वरीयताओं के लिए भी लागू होंगे।

(iv) यदि पहली वरीयता और अनुवर्ती वरीयताएं, यदि कोई हैं, अभ्यर्थी के प्रति विधिमान्य रूप से चिह्नित की गई हैं तथा नोटा के सामने क्रॉस/सही का निशान चिह्नित किया गया है तो मतपत्र केवल इसी आधार पर अविधिमान्य मान कर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थियों के सामने चिह्नित वरीयताओं पर विचार किया जाएगा और तदनुसार गणना की जाएगी। हालांकि, नियमों के सामान्य उपबंध और प्रतीकों से संबंधित आयोग के अनुदेश, जिनसे मतदाता की पहचान हो सकती है, नोटा विकल्प के सामने चिह्न के मामलें में लागू होंगे, और यदि आरओ का ये मानना है कि उसमें लगाया गया चिह्न नियम 73(2)(घ) के अर्थ के भीतर मतदाता की पहचान की तरफ तर्कसंगत रूप से इशारा करता है तो वह उस आधार पर मतपत्र को अस्वीकृत किए जाने का भागी बनाएगा।

3. उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार मतपत्र पर कुछ प्रतिदर्श चिह्न अधिक सुस्पष्टता के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

4. ये निर्देश सभी भावी निर्वाचनों में अनुपालन हेतु राज्य में राज्य सभा निर्वाचनों के, और विधान परिषद (ऐसे राज्यों में जिनमें ऐसे परिषद हैं) के सभी निर्वाचनों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। राज्य/संघ-शासित क्षेत्र में आधारित राजनीतिक दलों को भी इन दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाए।

भवदीय,

ह./-

(के.एफ. विल्फ्रेड)

प्रधान सचिव